न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–64/16 वाद पत्र

उनवान

1–सीता देवी पत्नि सुरेश चन्द्र ब्राहम्ण नि0 नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादिया

बनाम

1–रामेश्वर पिता सोहन ब्राहम्ण नि0 नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–शंकर पिता सोहन ब्राहम्ण नि0 नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–बंशीलाल पिता प्रताप ब्राहम्ण नि0 नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–राजस्थान राज्य जरिये तसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

उपस्थित
1. फारूख मोहम्मद –

अधिवक्ता वादीगण

दिनांक 15.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नारायणखेड़ा में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नारायणखेडा पटवार हल्का नारायणखेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के सामलाती खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की नवीन आराजी संख्या 786 रकबा 0.34 हे0 व आराजी संख्या 727 रकबा 0.02 हे0 आचा खाता संख्या 194 व 244 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी 2070 से 2073 तक प्रस्तुत है। आराजी संख्या 727 व 786 पर विक्रय पत्र निष्पादित करते समय उक्त आराजियात पर बैंक ऑफ बड़ौदा शारा रायपुर का रहन दर्ज था तथा उस समय बैंक का अनापति पत्र लेकर विक्रय पत्र निष्पादित किया। विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत है। विक्रय पत्र निष्पादित होने की दिनांक से वादिया काबिज होकर काश्त कर रही है। विक्रय पत्र का नामान्तरकरण खोलने बाबत् वादिया ने विक्रय पत्र पटवार हल्का नारायणखेडा के समक्ष प्रस्तुत किया तब नामान्तरकरण तहसीलदार रायपुर सा0 रायपुर ने बैंक रहन के आधार पर खारिज फरमाया दिया है जबकि उक्त रहन को रेकार्ड से हटवा दिया गया था। वादिया सद्भावी क्रेता है तथा इसी आधार पर वादिया काश्तकार घोषित होने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा भूमिया विक्रय की गई लेकिन नामान्तरकरण नही खुलने से उनका नाम यथावत रेकार्ड मे दर्ज होने से उन्हे पक्षकार प्रतिवादी बनाये गये है। प्रतिवादीगण को कई मर्तबा इस हेतु कहा लेकिन इनकार हो गये जिसे उनके विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 16.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही गई। प्रतिवादी सख्या 4 उपस्थित है तथा जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब मे वादिया श्रीमती सीता देवी पत्नि सुरेशचन्द्र ब्राहम्ण नि0 नारायणखेडा द्वारा दिनांक 09.04.2015 को ग्राम नारायणखेडा के खसरा नम्बर 786 रकबा 0.34 हे0 व खसरा नम्बर 727 रकबा 0.02 हे0 गे0मु0 आचा मे से 1/2 हिस्सा क्रय किया गया जिसका पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 02.06.2015 द्वारा दर्ज किया गया लेकिन भूमि बी ओ बी रायपुर के रहन दर्ज होने से नामान्तरकरण खारिज किया गया था। विक्रेता द्वारा बी ओ बी रायपुर का बकाया ऋण जमा करवा नोड्युज प्रस्तुत कर भूमि रहन मुक्त हेतु निवेदन किया जिसका पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 31.08.2015

से भूमि रहन मुक्त कर दी गई। वर्तमान मे उक्त खसरा नम्बर 786 एवं 727 पर रहन दर्ज नही है। अतः बिकाव से परिवर्तन किया जाना उचित है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम नारायण खेडा के आराजी नम्बर 786 रकबा 0.34 हे0 सम्पूर्ण व आराजी चाह नम्बर 727 रकबा 0.02 हे0 मे 1/2 हिस्सा वादिया के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम नारायण खेडा के आराजी नम्बर 786 रकबा 0.34 हे0 सम्पूर्ण व आराजी चाह नम्बर 727 रकबा 0.02 हे0 मे 1/2 हिस्सा वादिया के नाम दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

15/5/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–64 / 16 वाद पत्र

उनवान

1–सीता देवी पत्नि सुरेश चन्द्र ब्राहम्ण नि0 नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादिया

बनाम

1–रामेश्वर पिता सोहन ब्राहम्ण नि0 नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–शंकर पिता सोहन ब्राहम्ण नि0 नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–बंशीलाल पिता प्रताप ब्राहम्ण नि0 नारायण खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–राजस्थान राज्य जरिये तसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीया द्वारा ग्राम नारायण खेडा के आराजी नम्बर 786 रकबा 0.34 हे0 सम्पूर्ण व आराजी चाह नम्बर 727 रकबा 0.02 हे0 मे 1/2 हिस्सा वादिया के नाम दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 15.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
15/5/17